P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper -I **Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory** **Unit -5**

Q1. आभार को परिभाषित तथा साधारण एवं समेकित आभार में अंतर कीजिये ।

प्रो. हालैण्ड के मतानुसार, आभार एक ऐसा बन्धन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित के लिए कोई कार्य करने को बाध्य रहता है। कुछ मामलों में तो दोनों पक्ष साथ-ही-साथ आबद्ध होने के लिए सहमत होते हैं तथा कुछ मामलों में वे बिना अपनी सहमति के भी आबद्ध होते हैं, परन्तु प्रत्येक मामले में विधि ही इस प्रकार का गठबन्धन करती है। और वही इसे खोल सकती है। ऐन्सन का मत है कि आभार निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित व्यक्तियों के प्रति निश्चित कार्यो के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नियन्त्रण है या इसे इस प्रकार की सहिष्णुता भी कहा जा सकता है जिसका मूल्यांकन रुपयों में किया गया हो ।

सैविग्नी का मत कि आभार दूसरे व्यक्ति पर नियन्त्रण है। काण्ट के मतानुसार, आभार दूसरे की इच्छा पर एक प्रकार का आधिपत्य होता है।

सामण्ड के मतानुसार, "आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकार या इसी प्रकार के अधिकार " से उत्पन्न होने वाला कर्त्तव्य होता है। " यह दो दलों के मध्य हुए समझौते पर आधारित होता है।

काण्ट के अनुसार, "बाध्यता दूसरे की इच्छा पर एक कब्जा है।"

पैटन के अनुसार, "बाध्यता विधि का वह भाग है जो व्यक्ति बन्धी अधिकारों का सृजन करता है।"

समेकित आभार (Solidary Obligation) - यह ऐसा आभार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु के लिए एक ही ऋणदाता के ऋणी रहते हैं। इनमें से प्रत्येक ऋणी पूरी वस्तु के लिए आभारी होता है, केवल अपने अंश मात्र के लिए नहीं। रोमन विधि के अनुसार, वह “insoidum" अभारी होता है "of propate" नहीं। समेकित आभार निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है-

(i) एकाकी,

(ii) संयुक्त,

(iii) संयुक्त तथा एकाकी।

(**i) एकाकी (Several**)- इस प्रकार के समेकित आभार में जितने देनदार होते हैं वे सभी व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण ऋण के लिए लेनदार के प्रति बाध्य होते हैं। अतः इस आभार में बाद हेतुकों तथा आभारों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि दैनदारों की। इसमें आधार को विषय-वस्तु एक ही होती है किन्तु प्रत्येक देनदार लेनदार के प्रति एक अलग एवं स्वतन्त्र विधिक सम्बन्ध (Vinculum Juris) द्वारा बाध्य रहता है। अगर एक भी देनदार ऋण का भुगतान कर देता है तो सभी देनदार ऋण से उन्मोचित हो जाते हैं।

(ii) संयुक्त (Joint) - इसमें आभार तो एक ही होता है एवं सिर्फ एक ही व्यक्ति पर ऋण भुगतान के लिए अभियोग चलाया जा सकता है परन्तु एक ही ऋण के ऋणी कई व्यक्ति होते हैं। ऋण भुगतान की संविदा पर केवल प्रमुख ऋणी ही हस्ताक्षर करता है एवं उसके साथ एक प्रतिभू (Surety) के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार के आभार में यदि एक भी ऋणी को मुक्त कर दिया जाता है तो सभी ऋणी पुरु हो जाते हैं, जैसे-किसी भागीदारी के ऋणी भागीदार

(iii) संयुक्त तथा एकाकी (Joint and Several) - अनेक समेकित आभार एक साथ संयुक्त एवं एकाकी होते हैं। इस प्रकार के आभार कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त तथा कुछ प्रयोजनों के लिए एकाकी होते हैं। संयुक्त रूप से अपकृत्य करने वाले व्यक्तियों के आभार एक साथ संयुक्त एवं एकाकी होते हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सामण्ड के अनुसार आभार के नम्निलखिति चार स्रोत हैं

(i) संवदिात्मक या संवदिा से उत्पन्न और

(ii) अपकृत्यात्मक या अपकृत्य से उत्पन्न आभार,

(iii) संवदिाकल्प या अर्द्ध-संवदिात्मक आभार,

(iv) अनामति आभार ।

(i) संवदिात्मक आभार (Contractual Obligations)- ऐसे आभार जो संवदिा या करार से उत्पन्न होते हैं, संवदिात्मक आभार कहलाते हैं। इस प्रकार का आभार दो या दो से अधकि पक्षकारों के व्यक्तबिन्धक अधकिारों का नर्मिाण करता है। प्रारम्भकि युग में आभार पूरी तरह व्यक्तगित होने की वजह से अन्तरणीय नहीं था। परन्तु वर्तमान व्यापारकि जटलिताओं के कारणवश अधकिांश व्यक्तबिन्धक आभारों को अन्तरणीय माना गया है। उदाहरणार्थ, बैंक चैक, परक्राम्य वलिेख (Negotiable Instrument) इत्यादि।

(ii) अपकृत्यात्मक आभार (Delictal Obligations) - जो आभार अपकृत्यों से उत्पन्न होते हैं अपकृत्यात्मक आभार कहे जाते हैं। इस प्रकार के आभार का तात्पर्य अपकृत्य के लिए क्षतपिूर्ति के दायत्वि से है। कसिी व्यक्ति के वधिकि अधकिार का हनन करना या अपने कसिी वधिकि कर्त्तव्य का उल्लंघन करना, वधिि के अधीन अपकृत्य कहलाता है।

(iii) संवदिाकल्प या अर्द्ध-संवदिात्मक आभार (Quasi-contractual Obligation) - कुछ आभार इस प्रकार के होते हैं जो वास्तव में कसिी संवदिा या करार पर आधारति न होने के कारण सवदिात्मक नहीं होते हैं, कन्तिु वधिि इन्हें संवदिात्मक आभार के रूप में मानती है। इस प्रकार के आभारों को इंग्लशि वधिि में अर्द्ध-संवदिात्मक आभार कहा जाता है। संवदिाकल्प को वास्तवकि संवदिा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पक्षकारों के मध्य पारस्परकि करार बलिकुल ही नहीं रहता है जो संवदिा का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है तथापि न्यायालय के हति को ध्यान में रखते हुए कुछ वशिष अन्तरणों की वधिि परस्पर करार के अभाव में भी संवदिात्मक आभार की परकिल्पना कर लेती है। संवदिाकल्प आभारों के अधीन वे आभार भी आते हैं, जो संवदिात्मक न होकर अपकृत्य जनति होते हैं, परन्तु अपकारति व्यक्ति यदि चाहे तो उन्हें संवदिात्मक मानकर न्यायकि कार्यवाही चला सकता है।

(iv) अनामति आभार (Innominate Obligations) - वे आभार जो संवदिात्मक, अपकृत्यात्मक अथवा संवदिाकल्प की कोटि में नहीं आते हैं, अनामति आभार कहलाते हैं। न्यासधारी तथा हतिाधकिारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले आभार इसी कोटि में आते हैं।

Q2. नम्नि dh वविचना कीजयि --

अ. न्यायालय का क्षेत्राधकिार

ब. वाद कारण

स. नर्णिय का नष्पिादन

द. वाद का परवि्य

अ-न्यायालय का क्षेत्राधकिार (Jurisdiction of Court)-न्यायालय के क्षेत्राधकिार का सामान्य अर्थ कसिी न्यायालय के न्याय करने के अधकिार की सीमा से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में क्षेत्राधकिार का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जो वादों, अपीलों एवं आवेदनों

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

को प्राप्त करने से सम्बन्धित होती है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार कई प्रकार का होता है; जैसे—विषय वस्तु सम्बन्धी क्षेत्राधिकार, स्थानीय क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार एवं आरम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार ।

ब.वाद कारण (Cause of Action) – वाद कारण का तात्पर्य उन कारणों से है जिनके आधार पर वादी वाद को प्रस्तुत करता है। कोई भी वाद बिना वाद - कारण के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह वाद प्रथम सुनवायी पर ही निरस्त किया जा सकता है।

स. निर्णय का निष्पादन (Execution of Judgement) – किसी न्यायालय द्वारा घोषित किए गए निर्णय का निष्पादन या तो उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या ऐसे न्यायालय या अभिकरण द्वारा किया जा सकता है जिसको कि निर्णय निष्पादन के लिए भेजा जाता है। निर्णय के निष्पादन के लिए न्यायालय को आवेदन-पत्र वादी द्वारा दिया जाता है। निर्णय को निष्पादित करने वाले न्यायालय को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जोकि निर्णय घोषित करने वाले न्यायालय को होती हैं। निर्णय के निष्पादन के लिए जो प्रक्रिया विहित की गयी है उसी का अनुसरण निष्पादन न्यायालय करता है।

द. वाद का परिव्यय(Cost of Suit)– वादकारियों द्वारा वाद में प्रारम्भ से अन्त तक जो भी व्यय किया जाता है वे वाद के परिव्यय में सम्मिलित किए जाते हैं । वाद खर्च दिलवाना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है परन्तु ऐसा स्वविवेक न्यायिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय यदि चाहे तो दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने का आदेश दे सकता है अथवा उसे एक निश्चित अनुपात में दोनों पक्षों को देने का आदेश दे सकता है या सफल पक्षकार को असफल पक्षकार के खर्चा दिलाने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार वाद व्यय के सम्बन्ध में न्यायालय की शक्तियाँ काफी व्यापक एवं स्वविवेकीय हैं।

Q3. दायित्व की परिभाषा दीजिये । दीवानी दायित्व एवं आपराधिक दायित्व में अंतर बताइए ।

सामण्ड के मतानुसार, दायित्व आवश्यकता का वह बन्धन है जो बदमाशी करने वाले एवं बदमाशी के इलाज या उपचार के मध्य मौजूद रहता है। मार्कबी के मतानुसार, उत्तरदायित्व का प्रयोग व्यक्ति के कर्तव्य करने के सिलसिले में किया जाता है। अतः दायित्व मनुष्य द्वारा किया गया विधि के प्रतिकूल कोई कार्य होता है।

दायित्व के प्रकार (Kinds of Liability)– सामण्ड के मतानुसार, दायित्व सिविल एवं आपराधिक अथवा उपचारात्मक एवं शास्तिक हो सकता है। सिविल दायित्व में प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही द्वारा वादी के अधिकार का प्रवर्तन होता है, जबकि आपराधिक दायित्व का सम्बन्ध अपराधी को अपराध कृत्य के लिए दण्डित करने की कार्यवाही से है। सामण्ड के अनुसार, उपचारात्मक दायित्व के अन्तर्गत वादी के अधिकार का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जाता है तथा उसका मूल उद्देश्य अपकारी को दण्डित कराना न होकर वादी के अधिकारों की रक्षा करना है।

शास्तिक दायित्व में अपराधकर्तता को दण्डित करने की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper -I **Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory** **Unit -5**

सिविल दायित्व एवं आपराधिक दायित्व में अंतर सिविल दायित्व सिविल दीवानी मामलों में उत्पन्न होता है जबकि आपराधिक दायित्व दाण्डिक या आपराधिक मामलों में उत्पन्न होता है। सिविल दायित्व में प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही द्वारा वादी के अधिकार का प्रवर्तन कराया जाता है जबकि आपराधिक दायित्व का सम्बन्ध अपराधी को आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित करने की कार्यवाही से है ।

सिविल दायित्व उपचारी एवं शास्तिक दोनों ही स्वरूप का हो सकता है जबकि आपराधिक दायित्व प्रत्येक दशा में शास्तिक ही होता है .

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW